भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 249**
(वाणिज्य विभाग)

दिनांक 4 फरवरी, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए कृषि भूमि

249. श्री बी. मणिक्कम टैगोर :
श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंतः
श्री ईश्वरस्वामी के.:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राज्यों के विभिन्न भागों में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) और बहु-परियोजना एसईजेड के विकास के लिए कृषि भूमि का अधिग्रहण कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा स्थानीय कृषि पर ऐसे भूमि अधिग्रहण से पड़ने वाले प्रभाव का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने एसईजेड विकास के कृषि उत्पादकता, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभावों का आकलन किया है तथा एसईजेड के विस्तार के कारण कृषि भूमि के किसी भी नुकसान को कम करने के लिए किस प्रकार की योजना बनाई है;

(ग) निकटवर्ती शहरों में एसईजेड की स्थापना और कृषि उत्पादन में कमी के कारण लोगों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की ओर पलायन करने संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) ग्रामीण लोगों का निकटवर्ती शहरों की ओर पलायन रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन से अन्य कदम उठाए गए हैं;

(ङ) एसईजेड विकास के कारण किसानों के विस्थापन की पर्याप्त क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है तथा इससे प्रभावित लोगों को प्रदान की जा रही वैकल्पिक आजीविका का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या एसईजेड के लिए अधिगृहीत विभिन्न भूमि का कोई विस्तृत अभिलेख/आंकड़ा है और क्या यह बंजर, बेकार, एकल फसल या बहु फसल कृषि भूमि थी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (च): विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के लिए भूमि का अधिग्रहण संबंधित राज्य सरकारों की नीति और प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाता है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए अनुमोदन बोर्ड केवल उन्हीं प्रस्तावों पर विचार करता है, जिनकी संबंधित राज्य सरकार द्वारा विधिवत अनुशंसा की गई हो। तथापि, राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए भूमि अधिग्रहण के मामले में पहली प्राथमिकता बेकार और बंजर भूमि को दी जानी चाहिए तथा यदि आवश्यक हो तो विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए एकल फसल वाली कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है। यदि न्यूनतम क्षेत्र आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, विशेष रूप से बहु-उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के लिए, दोहरी फसल वाली कृषि भूमि का एक हिस्सा अधिग्रहित करना आवश्यक हो, तो यह विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के लिए आवश्यक कुल भूमि के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के विकास से स्थानीय समुदायों और आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार के बेहतर अवसर पैदा होते हैं।

******